दिनांकः 28.12.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली देहात सहारनपुर , पुलिस द्वारा एक व्यक्ति ने अपनी ही मौत की साजिश करने के लिये कार समेत एक अन्य व्यक्ति को जिंदा जलाने की घटना का सफल अनावरण करते हुए 01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 कैन एंव प्लास्टिक के ग्लब्स बरामद

अवगत कराना है कि दिनाँक 23.12.2024 को जब्बार अली पुत्र मौ0 युसूफ निवासी ग्राम बिजोपुरा थाना कोतवाली देहात, सहारनपुर ने थाने पर आकर सूचना दी कि ग्राम बिजोपुरा नहर पुल के पास नहर की पटरी पर एक कार जली हुई हालत मे खडी है, जिसके के अन्दर एक व्यक्ति का जला हुआ शव है। उक्त सूचना के सम्बन्ध उच्चाधिकारीगण,प्रभारी निरीक्षक कोतवाली देहात मय फोर्स द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया एंव फिल्ड यूनिट द्वारा साक्ष्य संकलन किये गये।

दिनांक 26.12.2024 को वादी गुलजार पुत्र कल्लू निवासी खानआलमपुरा थाना जनकपुरी ,सहारनपुर ने एक लिखित तहरीर दी कि उसका भांजा सोनू पुत्र स्व0 नन्हा निवासी पुराना मिद्दा थाना सदर जनपद यमुनानगर हरियाणा हाल निवासी हबीबगढ थाना कोतवाली देहात सहारनपुर उम्र करीब 32 वर्ष दिनाक 22.12.2024 से गायब है, जिसको आखरी बार दिनांक 22.12.2024 को डा0 मुबारिक पुत्र शमीम अहमद निवासी ग्राम असारा थाना रमाला जनपद बागपत हाल निवासी हबीबगढ थाना कोतवाली देहात सहारनपुर के साथ देखा गया था के संबंध में थाना कोतवाली देहात पर मु0अ0सं0- 520/24 धारा 103(1) / 238 बीएनएस बनाम डा0 मुबारिक पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लेकर घटना के शीघ्र अनावरण हेतु आदेशनिर्देश दिए गये-, जिसके क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एंव क्षेत्राधिकारी द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक कोतवाली देहात के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 27.12.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना कोतवाली देहात पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त के नामजद वांछित **अभियुक्त डा0 मुबारिक पुत्र शमीम अहमद निवासी ग्राम असारा थाना रमाला जनपद बागपत हाल निवासी हबीबगढ थाना को0देहात जनपद सहारनपुर** को यमुना नहर की पटरी के पास से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से कब्जे से मृतक सोनू के गले में पहनी हुई चाँदी की चैन जिसमें सोनू के नाम का लोकेट डला था, घटना के समय पहने गये गलब्स व पैट्रोल की खाली कैन तथा डा0 मुबारिक के लोन, बीमा, गाडी की आरसी आदि महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद किये हुए।गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायाल के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ का संक्षिप्त विवरणः- गिरफ्तार अभियुक्त डा0 मुबारिक ने पूछताछ करने पर बताया गया कि मैं कम समय में अमीर बनना चाहता था जिसके लिये मैंने एक योजना बनायी। इस योजना के तहत मैं एक कार व एक व्यक्ति की डैड बाडी की तलाश कर रहा था जिसे मैं कार समेत जलाकर अपने आप को मृत दिखा देता जिससे मेरी पत्नी मेरा मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाकर बीमा आदि के पैसे हासिल कर लेती और बैंक से लिया गया 10 लाख रुपये का पर्सनल लोन भी माफ हो जाता। योजना के तहत मैं कई महीनो से एक पुरानी कार तथा एक आदमी की डैड बोडी की तलाश कर रहा था जिसके लिये मैने अपन कई घनिष्ठ मित्रो से भी बातचीत की थी परन्तु उन्होने मना कर दिया था । पिछले लगभग 6 महीने के दौरान मैने 02 कार व 02 बाईक फाइनेन्स पर खरीदी थी तथा 5 लाख रुपये

का बीमा बजाज अलाइन्स कम्पनी तथा 10 लाख रुपये का पर्सनल लोन बैंक से लिया था। मैने जीएसटी भी भरना शुरु कर दिया था तथा 9 लाख रुपये सस्ती जमीन दिलाने के नाम पर मैने अपने पडोसी मसूद उर्फ लीलू से लिये थे ।इसके अलावा मैने अन्य लोगो से भी लाखो रुपये उधार लिये थे । करीब एक महीने पहले मैने एक पुरानी कार मारूति 800 रजि0 नं0 UP 78 AR 4193 कुल 26,000/- रुपये में खरीद ली थी। पुरानी कार खरीदने के बाद मैने किसी आदमी की डैड बाडी की काफी तलाश की परन्तु कही से भी मुझे डैड बाडी नहीं मिली सकी । तभी मैंने सोनू जो काफी नशा करता था व मेरे ही मोहल्ले का रहने वाला था मेरे पास आता जाता रहता था से अच्छी दोस्ती कर ली। सोनू अकसर 62 फूटा पर ग्रीन पार्क की पुलिया के पास ढाबे पर खाने खाता था । दिनांक 22.12.24 की शाम के समय मैं अपनी योजना को पुरा करने के उद्देश्य से सोनू को ढूढते हुये ढाबे पर पहुचाँ, जहाँ सोनू मुझे मिल गया था। मैनें सोनु को शराब पीलाने के बहाने से उसे मारूति कार नं0 UP 78 AR 4193 में बैठाकर मण्डी समिति रोड पर देशी शराब के ठेके पर ले गया । फिर मैंने सोनू से देशी ठेके से शराब मंगाकर उसे अपनी गाडी मे बैठाकर यमुना नहर की पटरी पर ले गया । फिर हम दोनो ने काफी शराब पी ।शराब पीते समय मैंने छुपकर सोनू के गिलास मे नशे की गोलिया डाल दी, जिससे वह बेशुद हो गया,तभी रात्री मे बिजोपुरा नहर पुल के पास पटरी पर सुनसान जगह पर मैने सोनू के गले की चैन निकालकर गाडी के अन्दर बैठे सोनू तथा गाडी को पैट्रोल डालकर आग लाग दी थी, जब कार पूरी तरह से जल गयी तो मैं वहाँ से चला गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

डा0 मुबारिक पुत्र शमीम अहमद निवासी ग्राम असारा थाना रमाला जनपद बागपत हाल निवासी हबीबगढ थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरणः-मृतक हमीद के—

- 01 चाँदी की चैन जिसमे SONU नाम को लोकेट है(मृतक सोनू की)
- 01 प्लास्टिक की खाली कैन
- 01 जोडी प्लास्टिक के गलब्स
- 01 कार रेनोल्ट ट्राईवर यूपी11सीयू5223
- अभियुक्त के लोन,बीमा, गाडियो की आरसी आदि कागजात।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री चन्द्रसैन सैनी थाना कोतवाली देहात सहारनपुर
2. व0उ0नि0 श्री सुनील कुमार शर्मा थाना कोतवाली देहात सहारनपुर
3. उ0नि0 श्री सुनील कुमार थाना कोतवाली देहात सहारनपुर
4. है0का0 526 सनोवर ताज थाना कोतवाली देहात सहारनपुर
5. का0 77 अरुण कुमार थाना कोतवाली देहात सहारनपुर
6. का0 152 गौरव त्यागी थाना कोतवाली देहात सहारनपुर
7. का0 1253 अनिरुध्द थाना कोतवाली देहात सहारनपुर

दिनांकः 28.12.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियंत्रण व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एव क्षेत्राधिकारी द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री चन्द्रसैन सैनी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 28.12.2024 को थाना कोतवाली देहात पुलिस टीम द्वारा **01 वारण्टी अभियुक्त प्रमोद कुमार पुत्र दलीप सिंह नि0 ग्राम आलमपुर बडकली थाना को0देहात जनपद सहारनपुर** सम्बन्धित वाद संख्या 3871/2024 धारा 60/63 आबकारी अधि0 चालानी थाना सरसावा जनपद सहारनपुर व वाद सं0 5163/2024 व मु0अ0सं0 367/17 धारा 60/63 आबकारी अधि0 चालानी थाना सरसावा सहारनपुर को ग्राम आलमपुर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार वारंटी अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

सागर पुत्र प्रीतम सिंह नि0 ग्राम हलालपुर थाना को0देहात जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 श्री सुनील कुमार थाना कोतवाली देहात जनपद सरहारनपुर।
2. है0का0 334 संजीव कुमार थाना को0देहात जनपद सहारनपुर
3. का0 2253 विवेक कुमार थाना को0देहात जनपद सहारनपुर

दिनांकः 28.12.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना गागलहेडी सहारनपुर पुलिस द्वारा 02 शातिर मोटरसाइकिल चोर अभियुक्त गिरफ्तार,कब्जे से चोरी की 02 मोटरसाईकल मय फर्जी नम्बर प्लेट नम्बर बरामद

अवगत कराना है कि वादी विकास पुत्र इशन पाल निवासी चोटली शाहबुदीनपुर थाना भगवानपुर जनपद हरिद्वार,उत्तराखण्ड की लिखित तहरीर बाबत अज्ञात व्यक्ति द्वारा वादी की मोटरसाइकिल चोरी कर ले जाने के संबंध में थाना गागलहेड़ी पर मु0अ0सं0- 282/2024 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियन्त्रण व मोटसाइकिल चोरी की घटनाओं की रोकथाम व इसमें संलिप्त अपाधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष गागलेहड़ी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 28.12.2024 को थाना गागलहेड़ी पुलिस टीम द्वारा गागलहेडी क्षेत्रान्तर्गत भगवानपुर गागलहेडी रोड से बहेडी गुर्जर जाने वाले रास्ते के पास चैकिंग की जा रही थी। तभी ग्राम बहेडी गुर्जर की तरफ से दो अलग-अलग मोटरसाइकिल पर 04 व्यक्ति सवार आते दिखायी दिये जिन्हें पुलिस द्वारा रूकने का इशारा किया। पुलिस को देखकर वह नहीं रुके और भागने का प्रयास करने लगे। पुलिस टीम द्वारा मोटरसाइकिल सवारो का पीछा किया गया तथा उनकी घेरा बंदी कर दो बदमाशों को पकड़ लिया गया व अन्य दो बदमाश मौके से फरार हो गये। फरार दोनो बदमाशों की तलाश हेतु लगातार कॉम्बिंग की जा रही है। गिरफ्तार बदमाश की पहचान 1. **अक्षय कुमार पुत्र जगपाल निवासी ग्राम कोलकी थाना गागलहेडी जिला सहारनपुर** 2. **अशुंल पुत्र गोपीचन्द निवासी बहेडी गुर्जर थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर** के रुप में हुई। जिनके कब्जे से दो मोटरसाईकिल फर्जी न्बर प्लेट के साथ बरमाद की गयी। जिनका रजिस्ट्रेशन नं0 UP 11 BL 1143 सीटी 100 रंग काला नीला पर फर्जी नम्बर प्लेट लगी तथा जिसका असली रजि0 न0 रजिस्ट्रेशन 0न UK 17 J 7309 है एंव दूसरी मोटरसाईकिल रजिस्ट्रेशन नं0 HR 02 S 3251 स्पेलन्डर पर फर्जी नम्बर प्लेट लगी जिसका असली रजि नं UK 17 Q 8898 है।जिसके संबंध में थाना भगवानपुर जनपद हरिद्वार उत्तराखण्ड पर मु0अ0स0 698/23 धारा 379 भादवि पंजीकृत है । बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना गागलहेड़ी पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 282/2024 में धारा 317(2), 336(2) 3/5 बीएनएस की वृद्धि की गयी। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1. अक्षय कुमार पुत्र जगपाल निवासी ग्राम कोलकी थाना गागलहेडी जिला सहारनपुर।
2. अशुंल पुत्र गोपीचन्द निवासी बहेडी गुर्जर थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण -

- 01 मोटर साइकिल रजिस्ट्रेशन न0 UP 11 BL 1143 सीटी 100 रंग काला नीला(संबंधित मु0अ0सं0- 282/2024 धारा 303 (2) बीएनएस थाना गागलहेड़ी,सहारनपुर)
- 01 मोटर साइकिल रजिस्ट्रेशन न0 HR 02 S 3251 स्पेलन्डर रंग काला (संबंधित मु0अ0स0 698/23 धारा 379 भादवि जनपद हरिद्वार उत्तराखण्ड)

पूछताछ का विवरणः- पूछताछ करने पर दोनो गिरफ्तार अभियुक्तगण ने एक स्वर में बताया कि हम दोनो कम पढे लिखे हैं व मजदूरी का कार्य करते हैं। हम दोनो व हमारे अन्य साथी मिलकर मोटर साईकिल चोरी करते है तथा मोटर साईकिल की पहचान छिपाने के लिये फर्जी नम्बर प्लेट लगाकर स्वंय भी चलाते है और गाव देहात में बेच भी देते है,जिससे हमें अच्छा मुनाफा हो जाता है ।आज जब हम चोरी की गयी मोटरसाइकिल पर फर्जी नम्बर प्लेट लगाकर बेचने जा रहे थे तभी पुलिस द्वारा हमें पकड़ लिया गया।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. थानाध्यक्ष श्री सुरेश कुमार थाना गागलहेडी सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री लोकेश कुमार थाना गागलहेडी सहारनपुर।
3. उ0नि0 श्री शाहनवाज अहमद थाना गागलहेडी सहारनपुर।
4. उ0नि0 श्री प्रवेश कुमार शर्मा थाना गागलहेडी सहारनपुर।
5. है0का0 810 राहुल चौहान थाना गागलहेडी सहारनपुर।
6. है0का0 831 सोनू ढाका थाना गागलहेडी सहारनपुर।
7. का0 398 नरदेव कुमार थाना गागलहेडी सहारनपुर।

दिनांकः-28.12.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना सरसावा, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक थाना सरसावा के कुशल नेतृत्व मे मुखबिर की सूचना पर आज दिनांक 28.12.2024 को थाना सरसावा पुलिस टीम द्वारा वारण्टी **अभियुक्त सारून पुत्र गुलजार निवासी मौ0 हरिजनान कस्बा व सरसावा जनपद सहारनपुर को** सम्बन्धित वाद संख्या 4917/2024 मु0अ0सं0 322/2022 धारा 63 आबकारी एक्ट थाना सरसावा को मोहल्ला हरिजनान से गिरफ्तार किया गया। वारण्टी अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

सारून पुत्र गुलजार निवासी मौ0 हरिजनान कस्बा व सरसावा जनपद सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली टीमः-

1. उ0नि0 श्री महेश सिह थाना सरसावा सहारनपुर।
2. का0 1967 अनुज थाना सरसावा सहारनपुर।
3. का0 07 सुमित वर्मा थाना सरसावा सहारनपुर।